

५१७

क्रमांक: ८० ४१५। अंक ५, १९५

प्रियोग का वर्णन

प्रियोग का  
वर्णन

इस साधितात्मक की उपलब्धता लाइट दिनांक १२.३.२००५ द्वारा मूलि  
संपादित ग्रन्थ करने तथांधी ग्रन्थ की समाप्ति करने के लिए निम्नांकित विषय  
की उप-समिति गठित ही गई थी ।

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| १. गृह संचारी                | उपलब्ध |
| २. वित्त संचारी              |        |
| ३. उद्योग संचारी             |        |
| ४. बनिज संचारी               |        |
| ५. नगरीय प्रियोग राज्य कर्ता | उपलब्ध |

अब उपरोक्त संचारीण की समिति को स्थापित करना, नगरीय प्रियोग के  
साथ सम्बन्धित विभाग से ग्रन्थिता निम्नग्रन्थ लाप्ति करने के लिए भी विषय की विधिवृत्ति दिया

जयपुर दिनांक प्राक्तिकरण, राजस्थान अधिकारी विभाग, नगर परिषद् विभाग, नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं के लिए उद्यापन भूमि के लिए १५ प्रतिशत  
विकसित भूमि आवंटन के हवाई कूति/अवृगोदान हेतु राज्य सरकार को वापत्ति होने वाले  
समाप्त प्रश्नण ।

२. राज्य सरकार के उपरोक्त विभाग को वापत्ति को वापत्ति भूमि अवृगोदान विभाग के  
प्रबोध जिम्मे राज्य राजीव भू-समाप्ति परिवर्तन समिति द्वारा मूलि ग्रन्थ  
के लिए विधिवृत्ति दिया गया है इसे समाप्त प्रदर्शन निम्न राजीव भूमि/वापत्ति भूमि के नियम  
का प्रताग्र लो ।

ग्राहा ते  
२००५। ४. ७  
नी, एक मीना ।  
शासन समिति

निम्नांकित ग्रन्थ संख्यार्थ स्वाक्षर द्वारा दी गई है ।  
राज्य सरकार/उपरोक्त/प्रबोध जिम्मे/उपरोक्त विभाग/राजीव भूमि/वापत्ति भूमि ।

समाप्त प्रदर्शन संख्या ४१५। दिनांक १२.३.२००५। विषय समिति ।  
समिति समिति, विषय समिति, राज्य समिति ।  
राज्य समिति ।